

Applications are invited from the students belonging to six minority communities notified by the Government of India for availing Scholarships under three scholarship schemes, sponsored by Ministry of Minority Affairs, Government of India, viz. Pre-Matric, Post-Matric and Merit-Cum-Means based Scholarship Schemes 2018-19.

Timeline activities as under:-

Activities	Date
Submission of Online applications for Fresh (first time applicant) scholarship by students	Upto 30th September, 2018
Submission of Online applications for Renewal (applicant who have got scholarship during 2017-18) scholarship by students	Upto 30th September, 2018

**Eligibility**

- The applicant should belong to any one form the notified minority communities viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Zoroastrians (Parsis) and Jains.
- Pursuing studies in India in Government or Private Universities/Institutes/Colleges/Schools.
- The course being pursued is of one or more years.
- The applicant should have secured 50% marks in the last annual Board/Class examination.

**INSTRUCTIONS**

**For Applicants**

- Applicants are advised to apply online against any one of the scholarship schemes on the Website of National Scholarship Portal at [www.scholarships.gov.in](http://www.scholarships.gov.in) (a link to the site is also available at [www.minorityaffairs.gov.in](http://www.minorityaffairs.gov.in)).
- Detailed 'Instructions' for filling in online application and 'Frequently Asked Questions (FAQs)' are available on the National Scholarship Portal homepage.
- Applicant is advised to give only that bank account details which remains in active mode or compliant as per bank's instructions so that payment of scholarship does not fail.

**For Universities/Institutes/Colleges/Schools**

- All Universities/Institutes/Colleges/Schools, where a minority students is studying, should get themselves registered (if not done earlier) on National Scholarship Portal (NSP) by September, 2018

For detailed information, visit the website of Ministry of Minority affairs i.e. [www.minorityaffairs.gov.in](http://www.minorityaffairs.gov.in)

DIP/Shabdarth/1337/18-19

Secretary

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार**

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

बी-ब्लॉक द्वितीय तल, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

ई-मेल: [scstscholarship.delhi@gov.in](mailto:scstscholarship.delhi@gov.in) वेबसाइट: [www.scstwelfare.delhigovt.nic.in](http://www.scstwelfare.delhigovt.nic.in)

**मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाएं 2018-19**

वर्ष 2018-19 के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित तीन छात्रवृत्ति योजनाओं अर्थात् मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्तियों का लाभ लेने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 06 अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

इन क्रियाकलापों की समय-सीमा निम्नानुसार है।

क्रियाकलाप	तारीख
छात्रों द्वारा नई छात्रवृत्ति (पहली बार आवेदक) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना	30 सितम्बर, 2018 तक
छात्रों द्वारा नवीकरण (वह आवेदक जिसने 2017-18 के दौरान छात्रवृत्ति प्राप्त की है) के लिए ऑनलाइन-आवेदन प्रस्तुत करना।	30 सितम्बर, 2018 तक

**पात्रता**

- आवेदक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी और जैन में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए।
- वह भारत में सरकारी या निजी विश्वविद्यालय/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों में अध्ययन कर रहा हो।
- अध्ययन किया जा रहा पाठ्यक्रम एक वर्ष या उससे अधिक अवधि का हो।
- आवेदक ने पिछले बोर्ड/कक्षा की परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हों।

**आवेदकों के लिए**

- आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल वेबसाइट यथा [www.scholarships.gov.in](http://www.scholarships.gov.in) (इस साइट का लिंक [www.minorityaffairs.gov.in](http://www.minorityaffairs.gov.in) पर भी उपलब्ध है) पर छात्रवृत्ति योजनाओं में से किसी एक के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
- ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत 'निर्देश' और 'बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के होम पेज पर उपलब्ध हैं।
- आवेदक को परामर्श दिया जाता है कि केवल वही बैंक खाता विवरण दें जो सक्रिय मोड में है या बैंक के निर्देशों के अनुसार हो ताकि छात्रवृत्ति का भुगतान विफल न हो।

**विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों के लिए**

- सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों, जहां कोई अल्पसंख्यक छात्र पढ़ रहा है, को 30 सितम्बर, 2018 तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करवाना चाहिए (यदि उन्होंने ऐसा पहले नहीं किया है)।

विस्तृत जानकारी के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट [www.minorityaffairs.gov.in](http://www.minorityaffairs.gov.in) पर जाएं।

N.B.T. 5/8/2018

हस्ता-सचिव

DIP/Shabdarth/1337/18-19



**भारत सरकार**  
**अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय**

**अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति : 2018-19**

**(मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित)**

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए) वर्ष 2018-19 के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाओं अर्थात् मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्तियों का लाभ लेने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित छः अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों को अवसर प्रदान करता है।

**समय-सीमा**

छात्रों द्वारा नई छात्रवृत्ति (पहली बार आवेदक) तथा नवीकरण (वह आवेदक जिसने 2017-18 के दौरान छात्रवृत्ति प्राप्त की) हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख

**30**  
**सितम्बर**  
**2018**

**पात्रता**

- आवेदक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी और जैन में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए।
- वह भारत में सरकारी या निजी विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों में अध्ययन कर रहा हो।
- अध्ययन किया जा रहा पाठ्यक्रम न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का हो।
- आवेदक ने पिछले वार्षिक बोर्ड/कक्षा की परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हों।

**निर्देश**

**आवेदकों के लिए**

- आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल वेबसाइट - [www.scholarships.gov.in](http://www.scholarships.gov.in) (इस साइट का लिंक [www.minorityaffairs.gov.in](http://www.minorityaffairs.gov.in) पर भी उपलब्ध है) पर छात्रवृत्ति योजनाओं में से किसी एक के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
- ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत 'निर्देश' और 'बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के होम पेज पर उपलब्ध हैं।
- आवेदक को परामर्श दिया जाता है कि केवल वही बैंक खाता विवरण दें जो सक्रिय मोड में है या बैंक के निर्देशों के अनुसार हो ताकि छात्रवृत्ति का भुगतान विफल न हो।

**विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों के लिए**

- सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों, जहां कोई अल्पसंख्यक छात्र पढ़ रहा है, को 15 अगस्त, 2018 तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करवाना चाहिए (यदि उन्होंने ऐसा पहले नहीं किया है)।

विस्तृत जानकारी के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट [www.minorityaffairs.gov.in](http://www.minorityaffairs.gov.in) पर जाएं।

(समाधान हेल्पलाइन : 1800-11-2001)